राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।

समर्थ योजना "पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम" के क्रियान्वयन में पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित अर्हताएं/सामान्य दिशा निर्देश

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों (गृहों) में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त संस्थागत देखरेख छोड़ने वाले बालक–बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने, समाज की मुख्यधारा में पुनर्समेकन तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु व्यवसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, परामर्श एवं सामुदायिक आवास इत्यादि सेवाएं प्रदान करने के लिये "समर्थ योजना" (पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम) लागू की गई है।

समर्थ योजना के क्रियान्वयन के दौरान बालक–बालिकाओं को उक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 15.04.2021 तक संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश, जिला कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में अथवा विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं।

समर्थ योजना "पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम" का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चों तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 लागू किये गये हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के अंतर्गत अधिनियम में निर्धारित श्रेणी के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर संस्थागत देखरेख छोड़ रहे बच्चों (बालक/बालिकाओं) को शिक्षा, रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए उनके समाज की मुख्यधारा में पुनर्समेकन को सुगम बनाने के लिए पश्चातवर्ती देखरेख (After Care) कार्यक्रम संचालित करने का प्रावधान किया गया है।

पश्चातवर्ती देखरेख (After Care) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्थागत देखरेख छोड़कर जाने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विकास के विभिन्न माध्यमों से उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हैं।

राज्य में पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम का क्रियान्वयन "समर्थ योजना–पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम दिशा–निर्देश, 2020" के अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से किया जायेगा।

1. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के अन्तर्गत बालक/बालिकाओं हेतु पात्रता ::

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के राजकीय/गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बालक/बालिका जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।
2. कार्यक्रम के तहत् बालक/बालिका को अधिकतम 21 वर्ष की आयु तक लाभान्वित किया जायेगा तथा अपवादात्मक परिस्थितियों में इसे 02 वर्ष तक और बढाया जा सकेगा।

2. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली सेवाएं ::

1. 06 से 08 बच्चों के समूहों के लिए अस्थाई आधार पर सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था करना।
2. व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान अनुदान या उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति एवं लाभार्थी को रोजगार मिलने तक सहायता करना।
3. राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, भारतीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य ऐसे कार्यक्रमों तथा कॉरपोरेट इत्यादि के साथ समन्वय से कौशल प्रशिक्षण, व्यवसाय स्थापित करने की व्यवस्था करना।

4. ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार–विमर्श करने के लिए उन्हें नियमित रूप से परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध कराना।
5. उनकी ऊर्जा को सकारात्मक माध्यम से सही दिशा उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आए संकटों से निपटने में उनकी सहायता हेतु सृजनात्मक कार्यकलापों की व्यवस्था करना।
6. पश्चातवर्ती देखरेख में रखे गए व्यक्ति के लिए उद्यमी कार्यकलापों की स्थापना हेतु ऋण एवं आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की व्यवस्था करना।
7. राज्य अथवा संस्थागत सहायता के बिना जीवन–यापन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।

3. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन/संस्था के चिन्हींकरण एवं जोड़ने की प्रकिया ::

1. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर अनुभवी पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन/संस्था से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें।
2. संबंधित संगठन/संस्था के प्रबंधक द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए विस्तृत प्रस्ताव मय अपेक्षित वित्तीय सहायता के साथ संगठन/संस्था के नियम, विधान, संगम–ज्ञापन, साधारण सभा की सूची/न्यासियों की सूची, नवीन पदाधिकारियों की सूची, पदाधिकारियों का पुलिस सत्यापन, पिछले 03 वर्षों के बैंलेंस शीट (तुलन–पत्र), वार्षिक रिपोर्ट, नीति आयोग पर पंजीकरण के प्रमाण की प्रति, संगठन/संस्था द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख, बच्चों के साथ कार्य करने के 03 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र इत्यादि की प्रमाणित प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत की जायेगी।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को अध्ययन करने उपरान्त अपनी राय/अनुशंषा के साथ प्रस्ताव राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।
4. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त प्रस्तावों पर अधिकतम 01 माह में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। संस्था के प्रस्ताव पर सोसायटी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
5. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित संगठन/संस्था द्वारा इन दिशा–निर्देशों के तहत् बच्चों को पश्चातवर्ती देखरेख सेवायें प्रदान की जायेगी।
6. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् प्रत्येक जिला स्तर पर अधिकतम 03 संगठन/संस्था को अधिकृत किया जा सकेगा।
7. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा चिन्हित संगठन/संस्था द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का वार्षिक स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर सेवा विस्तार किया जायेगा।

4. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम संचालित करने वाली संगठन/संस्था की जिम्मेदारी::

1. संगठन/संस्था के कार्मिकों का दक्ष एवं अनुभवी होना आवश्यक है, ताकि वे बच्चों के विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य प्राप्त कर सके।

2. संगठन/संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् बच्चों के समूहों के लिए उच्च स्तर की सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था की जायेगी तथा इस व्यवस्था के प्रभावी संचालन में समूह के बच्चों की सहभागिता ली जायेगी, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर इस व्यवस्था का संचालन कर सकें।
3. बच्चों के अस्थाई आवास के दौरान बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संगठन/संस्था की होगी।
4. संगठन/संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में लाभ प्राप्त कर रहे बच्चों की विस्तृत केस–फाईल एवं उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का रिकार्ड संधारित किया जायेगा।
5. कार्यक्रम के तहत् लाभ प्राप्त कर रहे बच्चे के पहचान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों (मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि) का निर्माण कराया जायेगा।
6. संगठन/संस्था द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख सेवाओं से बच्चों का जुड़ाव एवं उनके माध्यम से बच्चों का पुनर्वास एवं समाज में पुनर्समेकन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे को समय–समय पर उसके प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जायेगा तथा वह प्रकरण की गोपनीयता एवं बच्चे की निजता को बनाए रखेगा।
8. संगठन/संस्था द्वारा अपनी बाल संरक्षण नीति जारी की जायेगी, जिसे संगठन/संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक कार्मिक द्वारा अनिवार्यता से पालना की जायेगी।
9. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का शोषण या दुर्व्यवहार नहीं हो, इस बाबत् आवश्यक प्रबन्ध किये जायेगें।
10. संगठन/संस्था द्वारा किसी भी स्थिति में बच्चे को अमानवीय/अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने दिया जायेगा।
11. संगठन/संस्था द्वारा बच्चे के गंभीर रोग से बीमार होने, उसके गुम होने/दुर्व्यवहार होने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल संबंधित बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति को लिखित में सूचित किया जायेगा।
12. संगठन/संस्था द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं बच्चों में हो रहे परिवर्तन से नियमित अन्तराल पर जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से संबंधित बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति को अवगत कराया जायेगा।
13. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016 के प्रावधानों के पालना के अतिरिक्त राज्य सरकार तथा बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/दिशा–निर्देश की पालना की जायेगी।

5. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहायता/अनुदान ::

1. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे जिन्हें पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् सामुदायिक सामूहिक आवास के लिए चिन्हित किया गया है, को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता रूप में संबंधित बच्चे के बैंक बचत खाते के माध्यम से कुल राशि रूपये 7,000/– हजार प्रति माह प्रति बच्चे (राशि रूपये 4,500/– आवास एवं भोजन तथा राशि रूपये 2,500/– दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिये) के अनुसार प्रदान की जायेगी।

2. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे को व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित करने के लिए फीस एवं अन्य खर्च के रूप में अधिकतम राशि रूपये 3,000/– प्रति माह प्रति बच्चे के अनुसार संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता को भुगतान किया जायेगा।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे को उच्च शिक्षा से जोडने हेतु प्रवेश के समय संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित फीस एंव अन्य कोई सुविधा/फीस (हॉस्टल, मैस फीस, ट्रांसपोर्ट, अनुरक्षण भत्ता, स्पोटर्स, स्टेशनरी, ड्रेस फीस इत्यादि) का भुगतान किया जायेगा।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के निर्णयानुसार स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के इच्छुक बच्चे को स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु अनुदान/आर्थिक सहायता राशि रूपये 1,00,000/– या वास्तविक/अनुमानित लागत, जो भी कम हो, प्रदान की जायेगी। यह राशि 02 किस्तों (प्रथम किस्त में कुल राशि का 60 प्रतिशत् एवं द्वितीय किस्त में शेष राशि) में प्रदान की जायेगी। स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था दुकान/स्थान स्थापित करने अथवा उपकरण, कच्चा माल आदि क्रय करने के लिए प्रथम किस्त में कुल राशि का 60 प्रतिशत दी जावेगी। लाभार्थी द्वारा प्रथम किस्त के आधार पर की गई आवश्यक व्यवस्था (दुकान/स्थान स्थापित करने अथवा उपकरण, कच्चा माल आदि क्रय करने) के सत्यापन के पश्चात् इकाई द्वारा शेष राशि का भुगतान किया जावेगा। यह अनुदान/आर्थिक सहायता राशि संबंधित बच्चे के बैंक बचत खाते के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे बच्चे, जिन्हें कार्यक्रमों से किन्हीं कारणों से पश्चातवर्ती देखरेख सेवाओं नहीं जोड़ा जा सकता है, अथवा ऐसे बच्चे, जो उक्त कार्यक्रमों से जुड़ने के इच्छुक नहीं है, को संस्थागत सहायता के बिना जीवन–यापन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुनर्वास आर्थिक सहायता के रूप में एक मुश्त (वन टाईम) राशि रूपये 54,000/– हजार प्रति बच्चे (राशि रूपये 4,500/– आवास एवं भोजन हेतु प्रति माह के अनुसार वार्षिक सहयोग राशि) प्रदान की जायेगी।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे बच्चे, जिन्हें किसी प्रशिक्षण अथवा शिक्षण कार्यक्रम के दौरान संबंधित संस्थान में उपलब्ध हॉस्टल/आवासीय सुविधा से जोड़ा गया हैं, तो उन्हें दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिये राशि रूपये 2,500/– प्रति माह प्रति बच्चे के अनुसार सहयोग राशि प्रदान की जायेगी।
7. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् मनोवैज्ञानिक/परामर्शदाता/काउंसलर की सेवाओं के पेटे संबंधित संगठन/संस्था के प्रमाणीकरण एवं बिल प्रस्तुत करने पर राशि रूपये 700/– प्रति विजिट प्रति बच्चे के हिसाब से मानदेय प्रदान किया जायेगा।

6. पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवी संगठन/संस्था को दी जाने वाली आर्थिक सहायता ::

1. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम से जुडे लाभार्थियों के आधार पर संगठन/संस्था को समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत निर्धारित अनुदान जारी किया जायेगा।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् चिन्हित संबंधित संगठन/संस्था को निर्धारित कार्यों के प्रभावी निष्पादन तथा कार्यक्रम से जुड़े बच्चों के पर्यवेक्षण एवं सतत् सहयोग के लिए राशि रूपये 1,500/– प्रति माह प्रति बच्चे के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जायेगा।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम के तहत् चिन्हित संबंधित संगठन/संस्था को त्रैमासिक स्तर पर किये गये कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं संगठन/संस्था द्वारा बच्चों को प्रदान किये जा रहे सहयोग/मार्गदर्शन के संबंध में संबंद्ध बच्चों से प्रति पुष्टि (फीडबैक) के आधार पर त्रैमासिक अनुदान जारी किया जायेगा।

स्वयंसेवी संगठन/संस्था द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन का प्रारूप

दिनांक.....

सेवामें,

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं
बाल अधिकारिता विभाग,
.....।

विषयः– समर्थ योजना "पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम" के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयार्न्तगत निवेदन है कि बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा विज्ञप्ति के क्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई..... के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

क. संस्थागत ब्यौरा

1. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का नाम .....
2. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का पंजीकृत पता .....
3. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का औपचारिक ई–मेल .....
4. स्वयंसेवी संगठन/संस्था का सम्पर्क सूत्र नम्बर .....
5. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के मुख्य कार्यकारी का नाम.....
6. पंजीयन दिनांक .....
7. अंतिम नवीनीकरण दिनांक.....
8. 12ए पंजीकरण दिनांक.....
9. दर्पण पोर्टल का पंजीकरण विवरण.....

ख. बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में विगत 03 वर्ष में किये गये कार्यों का ब्यौरा

1. कार्य का विवरण .....

2. कार्य क्षेत्र .....
3. कार्य अवधि .....

ग. समर्थ योजना "पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम" के तहत् प्रस्ताव का ब्यौरा

1. प्रस्तावित कार्य क्षेत्र (जिला) का नाम .....
   (नोट – अधिकतम 02 जिलों के लिये पृथक–पृथक आवेदन किया जा सकता है।)

घ. प्रमाणित संलग्नकों का ब्यौरा

1. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के नियम/विधान, संगम–ज्ञापन।
2. साधारण सभा की सूची/न्यासियों की सूची।
3. नवीन पदाधिकारियों की सूची।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों का पुलिस सत्यापन (01 वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. विगत 03 वर्षों के बैंलेंस शीट (तुलन–पत्र)।
6. स्वयंसेवी संगठन/संस्था के 12ए पंजीकरण की प्रति।
7. विगत 03 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट।
8. नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण के प्रमाण की प्रति।
9. सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख का विवरण।
10. बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में 03 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति।
11. बाल संरक्षण नीति की प्रति (यदि उपलब्ध हो)।
12. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् पंजीयन के प्रमाण की प्रति (बाल देखरेख संस्थान के संचालन की स्थिति में)

उक्त आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचना पूर्ण एवं सही है तथा स्वयंसेवी संगठन/संस्था द्वारा कोई जानकारी गलत प्रस्तुत नहीं की गई है।

संगठन/संस्था पदाधिकारी का नाम
एवं हस्ताक्षर मय मोहर

नोटः स्वयंसेवी संगठन/संस्था द्वारा इस आवेदन पत्र प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप अथवा अपूर्ण भेजे गये आवेदन पत्र अमान्य होगें।